न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहाबाद, जिला–बारां(राज.)

पीठासीन अधिकारी – दीनानाथ बबल् (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः– 1/19 **दायर दिनांकः– 12.02.2019**

उनवान

प्रकरण– सरकार जर्ये तहसीलदार शाहबाद लेण्ड होल्डर

–प्रार्थी

बनाम

सुरेश पुत्र भंवरू जाति चमार सा. बैटा
दक्खो पत्नि भंवरू जाति चमार सा. बैटा
प्रीति पुत्री रामरतन जाति सहरिया सा. केलवाडा।

–अप्रार्थीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 175 राजस्थान काशतकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांकः– 05.03.2020

संक्षिप्त में वादपत्र के तथ्य इस प्रकार है–
भूमि धारी तहसीलदार शाहाबाद ने धारा 175 राजस्थान काशतकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि तहसील शाहबाद के ग्राम धुरेरा पटवार मण्डल बैटा के ख0नं0 20/273 रकबा 0.17 बीघा, ख0नं0 21/277 रकबा 0.12 बीघा, ख0नं0 27/284 रकबा 14.11 बीघा, ख0नं0 38/290 रकबा 35.07 बीघा, ख0नं0 49/294 रकबा 15.11 बीघा किता 5 कुल रकबा 66.18 बीघा में सुरेश पुत्र भंवरू दक्खो पत्नि भंवरू जाति चमार सा. बैटा हिस्सा 1/32 के नाम खाते दर्ज है। वह प्रीति पुत्री रामरतन जाति सहरिया निवासी केलवाडा को हस्तान्तरण की गई है। यह कि प्रार्थी द्वारा प्रथम अवैध हस्तान्तरण आर.टी.ए की धारा 42 (ख) का उंलघन है।उक्त भूमि खातेदारी में अंकित है अतः खातेदार को भी आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार बनाया गया है। अतः प्रार्थना पत्र धारा 175 आर.टी.ए के तहत प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को उनके द्वारा अवैध हस्तान्तरण होने से भूमि को राजहक में

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद जिला बारां (राज.)

Scanned by CamScanner

लेने का आदेश प्रदान करें। प्रार्थना पत्र के समर्थन में नकल जमाबंदी खाता संख्या 47 सवंत 2074–77 नकल नामांकन राजिस्टर संख्या 331 एवं विकय पत्र की प्रति पेश की गयी।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तलब किया गया । बाद तलबी अनुपस्थित रहने पर अप्रार्थीगण के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की गयी । प्रार्थी तहसीलदार शाहाबाद एवं पटवारी हल्का बैहटा के बयान कराये गये ।

पत्रावली का अवलोकन एवं मनन किया गया ।

निष्कर्ष निम्न प्रकार है – नकल जमाबंदी खाता संख्या 47 सवंत 2074–77 ग्राम धुरेरा के अनुसार अन्य सहखातेदारान के साथ सुरेश पुत्र भवंरू दख्को वेवा भवंरू हिस्सा 1/6 दर्ज है। उक्त सुरेश पुत्र भवंरू दख्को वेवा भवंरू जाति चमार ने जरिये विकय पत्र दिनांक 08.06.2018 ग्राम धुरेरा पटवार क्षेत्र बैंटा तहसील शाहबाद जिला बारां खसरां नं0 20/273 रकबा 0.17 बीघा, खसरा नं0 21/277 रकबा 0.12 बीघा, खसरा नं0 27/284 रकबा 14.11 बीघा, खसरा नं0 38/290 रकबा 35.07 बीघा, खसरा नं0 49/294 रकबा 15.11 बीघा, किता 5 कुल रकबा 66.18 बीघा में से उनका हिस्सा 1/32 का विकय प्रीति पुत्री रामरतन जाति सहरिया निवासी केलवाडा को कर दिया गया। जिसकी अनुपालना में नामान्तरण संख्या 331 मे पटवारी हल्का बैंटा ने लिखा की अनुसूचित जाति के व्यक्ति ने अनुजनजाति की महिला को बेचान किया है जो आरटी एक्ट के नियमों के विपरीत है। इसी प्रकार भूअभिलेख निरीक्षक ने भी टिप्पणी अंकित कर नामांतरण निरस्त योग्य बताया। जिस पर सरपंच ग्राम पंचायत बैंटा ने नामांतरण खारिज कर दिया।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम धारा 42(ख) के अनुसार अनुसूचित जाति के वर्ग के व्यक्ति के द्वारा अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को किया गया भूमि का बेचान दान आदि अवैध है। प्रस्तुत प्रकरण में ''चमार'' अनुसूचित के व्यक्ति के द्वारा सहरिया जनजाति की महिला को बेचान किया गया जो अवैध है।

अत ग्राम धुरेरा पटवार क्षेत्र बैंटा तहसील शाहबाद जिला बारां खसरां नं0 20/273 रकबा 0.17 बीघा, खसरा नं0 21/277 रकबा 0.12 बीघा, खसरा नं0 27/284 रकबा 14.11 बीघा, खसरा नं0 38/290 रकबा 35.07 बीघा, खसरा नं0 49/294 रकबा 15.11 बीघा, किता 5 कुल रकबा 66.18 बीघा में से उनका हिस्सा 1/32 को सिवायचक घोषित किया जाता है। तहसीलदार शाहबाद को आदेश दिये जाते है कि वे उक्त भूमि को कब्जेराज लेकर पालना से अवगत करावें।

आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
शाहबाद जिला बारां (राज.)

Scanned by CamScanner